भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2595 का उत्तर

स्वास्थ्य एटीएम

2595. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री मोहनभाई कुंडारियाः
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे ने सरकारी-निजी भागीदारी विधि द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य एटीएम की संस्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) यात्रियों को उक्त सुविधा का उपयोग करने में सहायता प्रदान करने हेतु कितने प्रशिक्षित कर्मचारी कार्यरत हैं और उक्त एटीएम में उपलब्ध चेक-अप का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(घ) इसकी शुरुआत से लेकर अब तक उक्त एटीएम का प्रयोग करने वाले यात्रियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त एटीएम से यात्रियों को कम लागत में स्वास्थ्य दशा की जांच करने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या रेलवे ने प्राथमिक स्वास्थ्य चेक-अप सुविधा को अन्य स्टेशनों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

Sk

स्वास्थ्य एटीएम के संबंध में दिनांक 04.12.2019 को लोक सभा में श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्री मोहनभाई कुंडारिया, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री कुलदीप राय शर्मा और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले के अतारांकित प्रश्न सं. 2595 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण

(क) से (च) जी नहीं। बहरहाल, फ्रेट तथा यात्री किरायों से इतर स्रोतों के माध्यम से राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से, भारतीय रेल ने 2017 में मोबाइल परिसंपत्तियों, आउट ऑफ होम विज्ञापन, रेल डिस्प्ले नेटवर्क, अवांछित प्रस्तावों, कन्टेन्ट ऑन डिमांड और 2018 में नया और नवप्रवर्तक विचारों और अवधारणा स्कीम से संबंधित गैर किराया राजस्व (एनएफआर) नीतियां/योजनाएं जारी किए हैं। इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों को पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और अतिरिक्त गैर किराया राजस्व सृजित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का अन्वेषण करने के लिए उन्हें पूर्ण रुप से अधिकृत किया गया है। हालाँकि, सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्यम के तहत कोई हेल्थ एटीएम नहीं संस्थापित किया गया है, रेलवे को लाईसेंस शुल्क का भुगतान करके निजी लाईसेंसधारी द्वारा कुछ रेलवे स्टेशनों पर 24 हेल्थ किओस्क स्थापित किए गए हैं। हेल्थ एटीएम की देख-रेख निजी लाईसेंधारी द्वारा अपने कर्मचारी द्वारा करते हैं। यह मशीन स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मानदंडो के बारे में सूचना मुहैया करवाती है। सरकार द्वारा किओस्क के प्रयोजन के लिए किसी प्रकार के निधि का आबंटन नहीं किया गया है। उपर्युक्त सुविधा उसी रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है जहां लाईसेंसधारी गैर राजस्व किराया सृजन नीतियों के तहत मशीन स्थापित करने के लिए आगे आए हैं।

******

Sk